न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 25/2023 जीसीएमएस प्र0स0 – 2023/126 दायर दिनांक 29.08.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

1. विष्णु कुमार गोयल पुत्र ओमप्रकाश (विक्रेता व मालिक), मै0 विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी धानमण्डी सूरतगढ़
2. सूर्य प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश, प्रोपराईटर–मै0 गोपाल जी एग्रो फूड प्रोडेक्ट, प्लॉट संख्या 81 मीरा चौक, ब्लॉक 11 कूपली राज. (निर्माता–रिपेकर व हॉलसेलर)

——अभियुक्तगण

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51, 58

:: निर्णय :: दिनांकः–06.05.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51, 58 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर में कार्य सम्पादन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कंमांक संख्या स/एसएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार खाद्यय सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाये राज. जयपुर के आदेश क्रमाक संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आवंटित किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है।
3. तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 14.10.2021 को समय दोपहर 02:00 बजे मैसर्स प्रकाश विष्ण ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी सूरतगढ़, श्रीगंगानगर पर पहुँचे। मौके पर श्री विष्णु कुमार गोयल पुत्र ओमप्रकाश को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे घी (दूध मलाई ब्राण्ड) के बारे मे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500–500 मिली के 192 डिब्बे घी (दूध मलाई ब्राण्ड) आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। इसी घी (दूध मलाई ब्राण्ड) मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते घी (दूध मलाई ब्राण्ड) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (दूध मलाई ब्राण्ड) 500 मिली की 4 पेक डिब्बे विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा घी (दूध मलाई ब्राण्ड) का नगद भुगतान 800 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री विष्णु कुमार गोयल एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री विष्णु कुमार गोयल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (दूध मलाई ब्राण्ड) 500 ... चारो मूल पेक डिब्बों पर लैबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के ... एवं ...ांक के–1199 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये ... तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़



Scanned with OKEN Scanner

नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–1499 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री विष्णु कुमार गोयल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कमांक/एफएसएसए/2022/04–06 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ जो कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिर्पोट संख्या/एलएस/345/एक्ट/2021/538 दिनांक 08.12.2021 द्वारा UNSAFE FOOD होना पाया गया है। उक्त आदेश द्वारा अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धारा 46 (4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था। जिसमें रिपोर्ट प्राप्ति के 30 दिवस में अपील हेतु समय दिया गया था। विक्रेता द्वारा उक्त अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन किया गया व नमूना जांच हेतु रेफरल लैब पुणे भिजवाया गया। जिसमें प्राप्त रिपोर्ट नम्बर आरएफएल/पी/डीओ/108/22/153/2022 दिनांक 10.03.2022 द्वारा SUB STANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION पाया गया। श्रीमान आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खाऔनि/स.सी./2023/3096 दिनांक 02.08.2023 द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हंसराज गोदारा को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी गंगानगर को दिनांक 11.02.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र कमांक–1190–91 दिनांक 14.08.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री विष्णु कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल विक्रेता मै0 विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी धानमण्डी सूरतगढ़ व श्री सूर्यप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश प्रोपराईटर मै0 गोपाल फूड प्रोडक्ट्स ने खाद्य पदार्थ घी (दूध मलाई ब्राण्ड), SUB STANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION का विक्रय करके एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा–51 व 28 में निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावे।

4. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई हाजिर आये। अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मेरे समक्ष किसी भी नमूने पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। मेरा गलत प्रकार से संलिप्तता दिखाकर गलत प्रकार से तथ्य अंकित किये है। प्रस्तुत केश मीमो में अंकित आर्टिकल पदार्थ जांच हेतु भिजवाये जाने वाले पदार्थ से भिन्न है। दोनो आपस में मेल नही होने के कारण इस्तगासा खारिज किया जावे। जांच रिपोर्ट से मुझे कभी भी अवगत नहीं करवाया गया, जिससे मेरे विधिक अधिकारो का हनन हुआ है यह परिवाद मियाद अवधि में पेश नही हुआ है। मियाद बढाने हेतु विक्रेता द्वारा सूचना समय पर नही भिजवाना कारण बताया है। जिस बाबत कोई तथ्य पत्रावली में उपलबध नही है। विधि में प्रावधान होने पर भी मुझे दोबारा जांच हेतु अवसर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। [illegible] फूड लैबोरेट्री की रिपोर्ट संख्या/आरएफएल/पी/डीओ/108/22/153/2022 [illegible] 10.[illegible]22 में उक्त नमूना SUB STANDARD FOOD पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य [illegible] विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़



Scanned with OKEN Scanner

कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा SUB STANDARD का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री विष्णु कुमार गोयल प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश (विक्रेता व मालिक) मै0 विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी सूरतगढ़ तथा सूर्य प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रोपराईटर मै0 गोपाल जी एग्रो फूड प्रोडेक्ट प्लॉट न. 81 मीरा चौक ब्लॉक 11 कुपली को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner